

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम, बिरौल

बिरौल थाना कांड संख्या— 341 / 2020
सी0आर0आई— 790 / 2020

30.07.2026 सूचक एस के चौधरी अनुपस्थित हैं। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। वाद पुकारा गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह अब आगे केस लड़ना नहीं चाहता है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधान पश्चात् अनुसंधानकर्त्ता द्वारा भी अंतिम प्रतिवेदन संख्या—367 / 2020, दिनांक—18.12.2020 को भूमि विवाद(दिवानी) समर्पित की गई। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अनुसंधानकर्त्ता द्वारा दाखिल अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार करती है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

(विजय कुमार मिश्रा)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम
बिरौल
30.07.2026